

आरोपीगण सह श्री नदीम कुरैशी अधिवक्ता ।

प्रकरण निरंतर लोक अदालत में राजीनामा हेतु नियत है ।

उभयपक्ष की ओर से अधिवक्ता अधिवक्ता श्री नदीम कुरैशी द्वारा एक राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा-320(2) दं.प्र.सं. का हस्ताक्षरित कर पेश किया गया । प्रति ए.डी.पी.ओ. को प्रदान की गई ।

उभयपक्ष ने अपने आवेदन में व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण के साथ न्यायालय के बाहर आपसी समझौता हो गया है तथा उभयपक्ष एक ही गांव के निवासी है । फरियादी/आहत ने आरोपीगण से 10,000/-रुपये बतौर नुकसानी क्षति के रूप में प्राप्त कर लिया है तथा आरोपीगण के साथ साथ बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा करना एवं उनके मध्य मधुर संबंध हो जाना व्यक्त किया है । उभयपक्ष के संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत फगनू तिल्लासी को आरोपी शेख नईम खान उर्फ बब्बू खान व शाहरुख खान से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

फरियादी/आहत फगनू तिल्लासी स्वतः उपस्थित । उसकी पहचान श्री नदीम कुरैशी अधिवक्ता द्वारा की गई । पहचान में संदेह नहीं है । प्रार्थी से पूछे जाने पर उन्होंने स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा किया जाना व्यक्त किया ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपीगण के विरुद्ध धारा-294, 323, 506 भादंवि के दण्डनीय अपराध में आरक्षी केन्द्र बिरसा द्वारा अभियोग पत्र पेश किया गया है । आरोपीगण द्वारा कारित अपराध अंतर्गत धारा-294, 323, 506 भादंवि का अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय व राजीनामा योग्य है । फलतः फरियादी/आहत फगनू तिल्लासी को आरोपीगण शेख नईम खान उर्फ बब्बू खान व शाहरुख खानसे धारा-294, 323, 506 भा.दं.वि. में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

इसी स्तर पर फरियादी/आहत फगनू तिल्लासी द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा-320 दंड प्रक्रिया संहिता का इस आषय से पेश किया गया कि उसके आरोपीगण से अब संबंध मधुर हो चुके है तथा आरोपीगण उसके गांव का ही है । उसने आरोपीगण से बतौर नुकसानी क्षति के 10,000/- रुपये प्राप्त कर लिये है तथा आरोपीगण से बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा कर लिया है । उभयपक्ष के संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत फगनू

तिल्लासी को आरोपीगण से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में उभयपक्ष राजीनामा करने में सक्षम है। राजीनामा करने में कोई विधिक रुकावट नहीं है। प्रस्तुत राजीनामा आवेदन विधि विरुद्ध न होने से स्वीकार किया जाता है। फलतः आरोपीगण शेख नईम खान उर्फ बब्बू खान व शाहरूख खान को धारा-294, 323, 506 भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा बांस की लकड़ी है जो मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे तथा जप्तशुदा वहान 407 क्रमांक— एम.पी. 22 ए. 5051 सुपुर्ददार शाहरूख खान निवासी पौनी वार्ड नं. 09, थाना मलाजखंड जिला बालाघाट को प्रदान किया जावे। उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलम्ब अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)